प्रेस नोट

दिनांक 18.06.2025

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-102/25, धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सचिन मिश्रा पुत्र घनश्याम मिश्रा निवासी ग्राम अमरीहा शाहपुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2025 को वादी श्री पृथ्वीनाथ तिवारी पुत्र श्री रामप्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम चमैनिया, थाना इटियाथोक द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि रात्रि लगभग 01:00 बजे उनके बड़े भाई श्री चन्द्रशेखर तिवारी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, घर से निकलकर ग्राम अमराडीहा स्थित श्री कृष्ण मोहन मिश्रा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा के घर चले गए। इस पर आक्रोशित होकर विपक्षीगण द्वारा चन्द्रशेखर तिवारी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पूर्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 18.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना इटियाथोक की टीम द्वारा प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सचिन मिश्रा पुत्र घनश्याम मिश्रा को धानेपुर से इटियाथोक जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सचिन मिश्रा पुत्र घनश्याम मिश्रा निवासी ग्राम अमरीहा शाहपुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-102/25, धारा 105 बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शशांक मौर्य।

02. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार मौर्य।

03. हे0का0 दिनेश मद्धेशिया ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जे0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आए प्रशिक्षु आरक्षियों से संवाद एवं आधारभूत सुविधाओं का किया गया निरीक्षण-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आज रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा में आरक्षी भर्ती-2023 के अंतर्गत जे0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आए प्रशिक्षु आरक्षियों से संवाद स्थापित कर उनके प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की गई। ये प्रशिक्षु वर्तमान में जे0टी0सी0 (ज्वॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स) के प्रथम चरण हेतु पुलिस लाइन गोण्डा में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर महोदय द्वारा प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण में ही प्रशिक्षु आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, जनसेवा एवं पुलिस कार्य की मूल अवधारणाओं से अवगत कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने प्रशिक्षणाधीन जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि “आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के भविष्य हैं। आपके प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल शारीरिक दक्षता तक सीमित नहीं, बल्कि आपको एक संवेदनशील, कर्तव्यपरायण एवं समाजोन्मुख पुलिसकर्मी के रूप में तैयार करना है। संवाद के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों ने प्रशिक्षण, अनुशासन और विभागीय व्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि जनपद गोण्डा में उन्हें एक सशक्त, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक वातावरण मिल रहा है, जो उनके समग्र विकास के लिए उपयुक्त है। ”संवाद के उपरांत महोदय द्वारा मेस, बैरक, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ बैरकों में साफ-सफाई की नियमितता बढ़ाने की आवश्यकता है। पेयजल की उपलब्धता तो सुनिश्चित है, परन्तु गुणवत्ता की जांच नियमित हो। मेस में पोषणयुक्त भोजन एवं समयबद्धता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस संबंध में महोदय ने प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन सहित संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्त व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से सुचारु रहें। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना अभ्यर्थियों को न करना पड़े, इसके लिए निरंतर निगरानी एवं समीक्षा की जाए।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रशिक्षु उपाधीक्षक श्री मयंक मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.06.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-245/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 ग्राम रूपईडीह पूरे बहादीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2025 को विपक्षीगण दीपक, अखण्ड सहित 05 लोगो द्वारा बृजभूषण सिंह उर्फ बल्लू सिंह के साथ मारपीट की गयी थी। मारपीट की घटना से क्षुब्ध होकर बृजभूषण सिंह द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 18.06.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त दीपक सिंह को मल्थुआ साहजोत मोड़ के पास अयोध्या रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपक सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 ग्राम रूपईडीह पूरे बहादीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-245/2025, धारा 108 बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।